

राजस्थान सरकार

## न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 21/2024

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये  
प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थी-

श्री अशरफ पुत्र श्री चांद खां निवासी  
पाटोदी, जिला बालोतरा।

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :-

- अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
- अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित (उपस्थित पत्र)

### आदेश

दिनांक : 19.03.2025

- प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 20.09.2024 को श्री रामावतार पूनिया एवं रविन्द्रसिंह प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा, ने मौतबिरान के रूबरू अप्रार्थी के व्यवसायिक प्रतिष्ठान मैसर्स महाबालाजी जनरल स्टोर, पचपदरा पर जांच करने पहुंचे, जहां मौके पर अप्रार्थी श्री अशरफ उपस्थित मिले। मौके पर 1 घरेलु गैस सिलेण्डर तथा 2 व्यावसायिक सिलेण्डर व एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप वक्त जांच पाया गया।, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है-

क्र. सं.	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर में भरी हुई गैस का वजन
1.	007645	HP	19.2 Kg	19.2 Kg	
2.	0077104	HP	19.1 Kg	19.1 Kg	
3	088639	HP	15.3 Kg	15.3 Kg	

- मौके पर उक्त दुकान में पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर द्वारा व्यवसायिक दुरुपयोग करने पर तथा एक सिलेण्डर से दुसरे सिलेण्डर में गैस भरने का रेगुलेटर मय पाईप को मौक पर उक्त सिलेण्डर को जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मैसर्स एस पी गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री किशनाराम को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु संग्रह कर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के

जिला कलक्टर  
बालोतरा

